भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2847
उत्तर देने की तारीख – 12/08/2026

विशिष्ट दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) पत्र जारी करना

2847. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में तीन माह तथा छह माह से अधिक समय से लंबित विशिष्ट दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) पत्र आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) यूडीआईडी योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सा बोर्डों की बैठकों की निर्धारित न्यूनतम आवृत्ति क्या है तथा क्या इसका समान रूप से पालन किया जा रहा है;

(ग) चालू वर्ष में यूडीआईडी आवेदनों के निस्तारण में औसतन कितना समय लगा है; और

(घ) विशेषकर दूरस्थ एवं पर्वतीय जिलों में लंबित आवेदनों को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) परियोजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिकृत अस्पतालों को दिव्यांगता के प्रकार और प्रकृति के आधार पर उसका आकलन करने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र/UDID कार्ड जारी करने के लिए जोड़ा गया है। UDID कार्ड के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबित आवेदन **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(ख): दिव्यांगता मूल्यांकन मेडिकल बोर्डों की बैठकों का समय और आवृत्ति संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या निर्दिष्ट अस्पतालों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं, चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर तय की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी बैठकों की कोई एक समान आवृत्ति निर्धारित या मॉनिटर नहीं की जाती है।

(ग): UDID आवेदनों के निस्तारण में लगने वाला औसत समय राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होता है।

(घ): विभाग ने दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश में व्यापक नामांकन को सुविधाजनक बनाने, लंबित मामलों को कम करने और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) जारी करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

i. एक मानकीकृत, सरलीकृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल UDID पोर्टल का विकास ताकि एक परेशानी मुक्त आवेदन और प्रमाणन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
ii. विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों एवं समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में नामांकन पंजीकरण केंद्रों की स्थापना।
iii. देश भर में एकसमान प्रमाणन के लिए मानकीकृत दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों का निर्माण।
iv. चिकित्सा पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके तहत दिव्यांगता का मूल्यांकन और UDID कार्यान्वयन के लिए 6000 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया है।
v. UDID प्रोजेक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और UDID कार्ड का समय पर सृजन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और चिकित्सा प्राधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित करना।

अनुबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2847 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध, जिसका उत्तर "विशिष्ट दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) पत्र जारी करना" विषय पर 12.08.2026 को दिया जाना है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3 महीने से अधिक समय से लंबित UDID आवेदन	6 महीने से अधिक समय से लंबित UDID आवेदन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	200	152
2	आंध्र प्रदेश	10040	8045
3	अरुणाचल प्रदेश	375	331
4	असम	11995	10870
5	बिहार	113703	91659
6	चंडीगढ़	803	675
7	छत्तीसगढ	435	309
8	दिल्ली	22925	18821
9	गोवा	738	638
10	गुजरात	12954	12024
11	हरियाणा	18240	15098
12	हिमाचल प्रदेश	12298	11123
13	जम्मू और कश्मीर	13500	11617
14	झारखंड	27380	25368
15	कर्नाटक	40382	33846
16	केरल	29158	26116
17	लद्दाख	98	94
18	लक्षद्वीप	1	1
19	मध्य प्रदेश	14288	12213
20	महाराष्ट्र	76688	48285
21	मणिपुर	4179	3945
22	मेघालय	69	55
23	मिजोरम	405	385
24	नागालैंड	377	353

25	ओडिशा	24641	16832
26	पुदुचेरी	270	193
27	पंजाब	4057	2550
28	राजस्थान	18856	15564
29	सिक्किम	85	68
30	तमिलनाडु	8148	5856
31	तेलंगाना	11886	5674
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	558	534
33	त्रिपुरा	878	661
34	उत्तर प्रदेश	135802	118081
35	उत्तराखंड	294	205
36	पश्चिम बंगाल	103672	94792
	कुल	720378	593033
